# बिहार सरकार
## निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
## (निबंधन)

# कार्यालय आदेश

पटना, 15, दिनांक– 01/11/12

संचिका सं0– बी.एस.[3]–101703/2012–1304 महालेखाकार के अंकेक्षण दल के द्वारा वर्ष 2003 से वर्ष 2011 की अवधि में संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित किए गए संस्थाओं एवं भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत निबंधित किए गए फर्मों के निबंधन शुल्क के रुप में प्राप्त कोषागार चालानों को सत्यापित कराये बगैर ही निबंधन किए जाने के कारण आपत्ति उठाई गई है। अतएव महालेखाकार द्वारा उठायी गई आपत्ति के आलोक में कोषागार चालानों को सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में अलग से कार्यालय आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में तत्काल निम्न निदेश जारी की जाती है :–

02. संस्था/फर्म के निबंधन एवं निबंधित संस्थाओं/फर्मों के अभिलेखों की प्रतिलिपि हेतु समर्पित किए जाने वाले आवेदनों को तबतक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जबतक कि इन आवेदनों के साथ शुल्क के रुप में संलग्न कोषागार चालान का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र पक्षकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

03. वैसे आवेदनों जिनके साथ कोषागार चालान का सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न न हो, पर इस आशय की आपत्ति लिखकर पक्षकार को वापस कर दी जायेगी।

04. इसे जन साधारण के सूचनार्थ विभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

05. इसे सभी जिला अवर निबंधन कार्यालयों एवं अवर निबंधन कार्यालयों के सूचनापट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

06. इसे निबंधन विभाग की वेबसाईट http://registration.bih.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

07. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30/10

( दयानिधान पाण्डेय )
निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।